

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 मई 2015—ज्येष्ठ 2, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 मई 2015

क्र. एफ-8-3-2014-एक-मा.अ.प्र.-323.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अधिकारी तथा कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	उप सचिव	1	न्यायिक सेवा	रु. 51550—1230—58930—1380—63070."

No. F-8-3-2014-I-H.R.C.-323.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Human Rights Commission Officers and Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-I, for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall substituted, namely:—

S. No.	Name of Posts included in the Service	No. of Posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Deputy Secretary	1	Judicial Service	Rs. 51550—1230—58930—1380—63070."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.